

12/11/22

उपस्थित हुआ  
G.S

12

पत्रावली पेश हुई। लोक अदालत के दिन वादी की ओर से पैरोकार सरकार, नायक तहसीलदार, फुलेरा व प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री असशर व श्री मुकेश उपस्थित। दोनों पक्षों द्वारा मुताबिक अनुवाद प्रा. पत्र निर्मित किये जाने हेतु आग्रह किया गया। पत्रावली, पत्रावली पर उपस्थित जवफ्त व दस्तावेज व व्याय के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन करने पश्चात इस पर सन्तन किया गया। लोक अदालत की मूल भावना अनुसार दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत व्यायालय -

मुताबिक अनुवाद  
रिपोर्ट किया जा  
हेतु तहसीलदार  
पक्षों की ओर  
वापस पत्रावली  
वापस पत्रावली



क्र०स०

दिनांक आज्ञा  
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

वि

12-11-59

प्रा. पत्र साबित होने पर मुतलिक अनुतोष निर्णित  
किया जाना न्यायोचित समझता हूँ। इतः प्रा. पत्र  
धारा 136 LR Act, 1956 स्वीकार किया जाकर  
विस्तृत निणयि पृथक से दंनित करवाया जाकर  
रजुले न्यायालय में सुनाया गया। फाइन फैसल  
शुमार ही, दर्ज नंकर से मग होकर दखिल दाफत  
हो।

उपरखण्ड अधिकारी  
सौमर लेक

*(Signature)*

(मुद्रयक्ष)

राष्ट्रीय लोक कल्याण  
ACSM कोठी

